न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 30/202

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/3

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्रीमती मनीषा देवी पत्नी श्री हितेश कंसारा, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला– बांसवाडा, (राज.) At also – श्रीमती कौशल्या कंसारा पत्नी श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा मकान सं. –213, बादिशा पूर्वी भाग, त्रिपुरा कॉलोनी, ठिकिरिया, बांसवाडा 327001 (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्री हितेश कंसारा पिता श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला बांसवाडा, (राज.) 3270001 (सहऋणी)
3. श्रीमती कौशल्या कंसारा पत्नी श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा, मकान सं.–213, बादिशा पूर्वी भाग, त्रिपुरा कॉलोनी, ठिकिरिया, बांसवाडा 327001 (सहऋणी)
4. श्री मोहन प्रजापत पिता श्री सागर प्रजापत निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला बांसवाडा, (राज.) 3270001 (गारंटर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 06–09–2023

प्राधिकृत अधिकारी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पाटीदार ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1. श्रीमती मनीषा देवी पत्नी श्री हितेश कंसारा, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला– बांसवाडा, (राज.) At also – श्रीमती कौशल्या कंसारा पत्नी श्री रमेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:07 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

चन्द्र जी कंसारा मकान सं.–213, बादिशा पूर्वी भाग, त्रिपुरा कॉलोनी, ठिकिरिया, बांसवाडा 327001 (ऋणी/बंधक कर्ता) 2. श्री हितेश कंसारा पिता श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला बांसवाडा, (राज.) 3270001 (सहऋणी) 3. श्रीमती कौशल्या कंसारा पत्नी श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा, मकान सं.–213, बादिशा पूर्वी भाग, त्रिपुरा कॉलोनी, ठिकिरिया, बांसवाडा 327001 (सहऋणी) 4. श्री मोहन प्रजापत पिता श्री सागर प्रजापत निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, अरावली कॉलेज के पास, ठिकिरिया, जिला बांसवाडा, (राज.) 3270001 (गारंटर) को दिनांक **06–06–2016** को **3,00,000** (तीन लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08–11–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 10–11–2022 तक कुल बकाया राशि 2,20,952 रू.** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए ऋणी/ अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगणो ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्रीमती कौशल्या कंसारा पत्नी श्री रमेश चन्द्र जी कंसारा मकान सं.–213, बादिशा पूर्वी भाग, त्रिपुरा कॉलोनी, ठिकिरिया, बांसवाडा स्थित है,** जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका कुलिया माप **600 स्क्वायर फीट** जिसके **पूर्व में भूखण्ड सं. 214, पश्चिम में भूखण्ड सं. 213, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में भूखण्ड सं. 235** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे अधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:07 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **11-11-2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **06-06-2016** को **3,00,000 (तीन लाख रुपया)** ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दिनांक 04-04-2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नोटिस दिनांक 18.08.2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 06.09.2023 को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है, बार बार रुक रुक कर अप्रार्थी को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:07 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/ अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर **तहसीलदार बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06-09-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)